संख्या:89/2022/230/35-4-2022

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अम्बेडकर नगर।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 16 मार्च, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद-अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र टाण्डा में राजकीय पॉलीटेक्निक, दौलतपुर, हाजलपट्टी, टाण्डा, अम्बेडकरनगर के भवन निर्माण कार्य की त्वरित आर्थिक विकास योजना से शासनादेश संख्या-21/2020 /260/35-4-2020, दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत रू. 1753.31 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए प्रथम किश्त के रूप में रू. 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 में शासनादेश संख्या-31/2021/587/35-4-2021 दिनांक 04 मार्च, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू. 263.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। जनपद द्वारा पत्र संख्या-1235/अ0सं0का0/त्व0आ0वि0-उपयोगिता प्रमाण पत्र/2021-22, दिनांक 16 दिसम्बर, 2021 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त शासनादेशों से प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष 75 प्रतिशत से अधिक धनराशि का उपभोग होना इंगित किया गया है। एतदद्वारा उपर्युक्त शासनादेशों द्वारा स्वीकृत कार्य की अनुमोदित लागत रू. 1753.31 लाख के सापेक्ष प्रथम एवं द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त हुई कुल धनराशि रू. 463.00 लाख को समायोजित करते हुए तृतीय किश्त के रूप में अनुमन्य धनराशि रू. 852.00 लाख (रूपये आठ करोड़ बावन लाख मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(लाख रू. में)

कार्य	**अनुमोदित लागत**	**पूर्व में अवमुक्त धनराशि**	**तृतीय किश्त में अवमुक्त की जा रही धनराशि**
राजकीय पॉलीटेक्निक, दौलतपुर, हाजलपट्टी, टाण्डा, अम्बेडकरनगर के भवन निर्माण कार्य	1753.31	463.00	852.00

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020 एवं दिनांक 04 मार्च, 2021 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि एक सप्ताह के अन्दर नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- इस शासनादेश से उक्त कार्यों के लिए अनुमोदित लागत के सापेक्ष सम्पूर्ण धनराशि का आवंटन हो जाता है। कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2022 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2022 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यत: कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

जून,2022 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत बजट के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8- कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था द्वारा सम्परीक्षित लेखे अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायेंगे।

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्ष-4202-शिक्षा,खेलकूद,कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-02-तकनीकी शिक्षा-104-बहुशिल्प-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-0302-राजकीय पॉलीटेक्निक भवन निर्माण के चालू कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनांक 22 मार्च, 2021 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अनुक्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या:89/2022/230(1)/35-4-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, अयोध्या मण्डल ।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग, कानपुर, उत्तर प्रदेश।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, विश्वैसरैया भवन, विभूति खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, अम्बेडकरनगर।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, अम्बेडकरनगर।
12- गार्ड फाईल।
13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, अम्बेडकरनगर।
15- अपर परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, इंजीनियर कालेज इकाई, अम्बेडकरनगर।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in